(18)

लाए दि. 3.9.14 को
माननीय सदस्य महो. के
समक्ष प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R-2939-III/14

3.9.14

श्री मुकेश भार्गव अभि0
द्वारा आज दि. 4-9-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4-9-14

W3
मुकेशभार्गव
3-9-14 एडवोकेट
ग्वालियर

नाथूराम पुत्र कुंजलाल लोधी
निवासी ग्राम ~~टक~~ टकी तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती पिस्ता पत्नी उत्तम सिंह लोधी
निवासी ग्राम चिरली तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्र.कं. 31/2012--13/अपील में पारित आदेश दिनांक 5.7.14 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि --

1-- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होनेस` प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2-- यह कि, वादग्रस्तभूमि सर्वे नं. 490 मिन रकवा 1.40 हे. पर आवेदक का 2.10.84 के पूर्व से कब्जा था इस आधर पर नायब तहसीलदार करैरा ने प्र.कं. 165/91--92/अ--19 दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर आदेशदिनांक 9.3.92 को भूमिस्वामी स्वत्व दखल रहित विशेष उपबंध अधिनियम 1984 केतहत प्रदान किये गये थे एवं सर्वे नं. 490 मिन रकवा 1.40 हे. पर 2.10.84 के पूर्व आवेदक का मां दिरो का आधिपत्य था इस कारण से आवदक की मां दिरों को नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्र.कं. 166/ 91--92/अ--19 दर्ज कर

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2939–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

नाथूराम विरूद्ध श्रीमती पिस्ता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री लाखन सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 31/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 05–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	28/5/19